हमारी संसदीय प्रणाली के केन्द्र में जनता-जनार्दन है - माननीय लोक सभा अध्यक्ष

नई दिल्ली, 26 नवम्बर 2015 : माननीय अध्यक्ष ने 26 नवम्बर, 2015 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्मशती की याद में “भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता” विषय र चर्चा के लिए सभा के छठे सत्र के दौरान सभा की विशेष बैठक में अभिभाषण के दौरान कहा, "भारत रे विश्व में सबसे बड़े एवं जीवन्त लोकतांत्रिक देश के रू में जाना जाता है क्योंकि हमारी संसदीय प्रणाली के केन्द्र में जनता-जनार्दन है जिसने 16 आम चुनावों में अने विवेक और बुद्धिमता से मताधिकार का प्रयोग कर सत्ता के सुचारू हस्तांतरण का मार्ग सुनिश्चित किया है और 8 बार सरकार बदली है। निस्संदेह, यह लोकतांत्रिक संविधान के सफलतार्ण कार्यान्वयन तथा लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था और जीवनशैली के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है। यहां मैं भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष एवं प्रथम राष्ट्रति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के उद्गार का उल्लेख करना चाहूंगी जिन्होंने जनता की लोकतांत्रिक रिक्वता में विश्वास जताया था। उन्होंने कहा था : कुछ लोगों को वयस्क मताधिकार के विचार र संदेह था। हालांकि व्यक्तिगत रू से मैं इसे एक ऐसा प्रयोग मानता हूँ जिसका आज कोई भी ूर्वानुमान नहीं लगा सकता। मेरे विचार से हमारे देशवासी बुद्धिमान और समझदार हैं। उनकी अनी संस्कृति है जिसे आज के प्रगतिशील लोग नहीं समझ ाएंगे। लेकिन यह बहुत मजबूत है। वे बहुत ढ़े लिखे नहीं हैं और ाई-लिखाई की कला से सम्न्न नहीं हैं। लेकिन मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि उन्हें ठीक से समझाया जाए तो वे अने हितों के साथ साथ देश के हितों का ध्यान रख सकते हैं।"

लोक सभा अध्यक्ष ने आगे कहा ,"भारत ने अनी अनेकता और विविधता को अने संस्थागत लोकतंत्र के साथ बहुत सफलतार्वक समायोजित कर लिया है। नीति तैयार करने की प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी और नागरिकों के नेटवर्क का प्रभाव स्ष्ट दिखाई देता है। विशेषकर मीडिया और बौद्धिक संवाद के माध्यम से आलोचना और असहमति की अभिव्यक्ति हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इस संबंध में संविधान सभा की बहस में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का यह वक्तव्य आज भी उतना ही सटीक एवं प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था : "हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तैयार किया है, र लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों के सफल क्रियाकरण के लिए उन लोगों में

जो इन सिद्धांतों को कार्यान्वित करेंगे, अन्य लोगों के विचारों के सम्मान करने की तत□रता और समझौता करने तथा श्रेय देने के लिए सामर्थ्य आवश्यक है। बहुत सी बातें जो संविधान में नहीं लिखी जा सकती हैं, अभिसमयों द्वारा की जाती हैं । मुझे यह आशा करने दीजिए कि हममें ये योग्यताएं होंगी और इन अभिसमयों का हम विकास करेंगे।"

यह विचार व्यक्त करते हुए कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में बिना जाति, □ंथ, धर्म और भाषा का विचार किये सभी समुदायों का शांति□ूर्ण सह-अस्तित्व और प्रगति सुनिश्चित की जाती है तथा देश में विश्व के लगभग सभी प्रमुख सम्प्रदाय एवं विचारधारा के अनुयायी रहते हैं, श्रीमती महाजन ने कहा कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना और सर्व-धर्म समभाव को बढ़ावा देना यही हमारी सामाजिक संस्कृति है।

श्रीमती महाजन ने विचार व्यक्त किया कि हमारे संविधान में हमारे लोकतंत्र के मूलभूत आधार के रू□ में सशक्त संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। राज्य के सबसे महत्व□ूर्ण तीन अंग-विधायिका, कार्य□ालिका और न्याय□ालिका हैं और संविधान के अंतर्गत इन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राज्य के तीनों अंगों को सत्ता के प्रतिस□र्धी केन्द्र नहीं बल्कि समन्वित रू□ से सहयोगियों के रू□ में कार्य करने की □रिकल□ना की गई है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों का सामंजस्य हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। विधायिका, न्याय□ालिका और कार्य□ालिका सभी अ□ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए अ□ने दायित्वों का सम्यक् निर्वहन करते हैं और एक-दूसरे की सीमाओं का यथोचित सम्मान करते हैं और भविष्य में भी करें, यही अ□ेक्षा है।

लोक सभा अध्यक्ष ने आगे कहा, "आज हमारे यहाँ एक स्वतंत्र और सक्रिय न्याय□ालिका, राजनीतिक दलों की सशक्त प्रणाली, एक जीवंत और सतर्क मीडिया और सजग सिविल सोसाइटी है। हमारे लोकतंत्र में एक प्रभावी निर्वाचन आयोग, स्वायत्त संघ लोक सेवा आयोग, लोक-लेखाओं की निगरानी करने वाला नियंत्रक-महालेखा□रीक्षक, स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी अनेक संस्थाएं हैं। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के संस्थागत प्रभाव के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है।

यह विचार व्यक्त करते हुए कि हमारे देश का संविधान हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उन्नति के लिए एक ऐसा साधन है जिसका विवेक□ूर्ण उ□योग यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे देश की प्रगति की गति, दशा एवं दिशा क्या होगी, श्रीमती महाजन ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी का एक कथन याद किया: यह संविधान किसी बात के लिए उ□बंध करे या न करे, देश का कल्याण उस रीति □र निर्भर करेगा जिसके अनुसार देश का प्रशासन किया जाएगा। देश का कल्याण उन व्यक्तियों □र निर्भर करेगा जो देश □र प्रशासन करेंगे। जिन व्यक्तियों का निर्वाचन किया जाता है यदि वह योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हैं, तो वे एक दोष□ूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम संविधान बना सकेंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव होगा तो यह संविधान देश की सहायता नहीं कर सकता।" उन्होंने यह भी कहा था : "हम में साम्प्रदायिक भेद हैं, जातिगत भेद हैं, भाषा के आधार □र भेद हैं, प्रांतीय भेद हैं और इसी प्रकार के अन्य भेद हैं। इस के लिए ऐसे दृढ़ चरित्र व्यक्तियों की, ऐसे दूरदर्शी लोगों की और ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो छोटे छोटे समूहों और क्षेत्रों के लिए □ूरे देश के हितों का □रित्याग न करें और जो इन भेदों से उत□न्न □क्ष□ात से □रे हों। हम केवल यह आशा ही कर सकते हैं कि इस देश में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। इस बात में मुझे संदेह नहीं है कि जब देश को चरित्रवान व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे और जनता ऐसे व्यक्तियों को □दा करेगी। मुझे लगता है कि भारत में आज हमारे सामने जो कार्य है वह उससे कहीं कठिन है, जो हमने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किये। उस समय हमारे बीच समाधान के लिए □रस□र विरोधी दावे नहीं थे और न ही बांटने के लिए लाभ और अधिकार। अब हमारे □ास यह सब कुछ है और प्रलोभन अधिक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें इससे ऊ□र उठने और जिस देश को हमने स्वतंत्र कराया है, उसकी सेवा करने का विवेक और शक्ति दे।"